दिनांक 18.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 435/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बांदा/थाना बिसंडा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 09 लाख रूपये (कीमत) की चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण बरामद**

दिनांक 18.08.2026 को थाना बिसंडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गोकुलपुरवा–इटरा मिलौली मार्ग पर स्थिति पुलिया से अभियुक्त रामबली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 09 लाख रूपये (कीमत) की चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.08.2026 को थाना बिसंडा क्षेत्रान्तर्गत चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिसंडा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बिसंडा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामबली निवासी ग्राम गोकुल पुरवा, सिकलोढी थाना बिसंडा जनपद बांदा।

बरामदगी

1–लगभग 09 लाख रूपये (कीमत) की चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 15 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 18.08.2026 को थाना कोतवाली उरई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–आनंद 2–मोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 15 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त आनंद शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद झाँसी के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आनंद निवासी ग्राम महुआखेड़ा थाना समथर जनपद झांसी।

2–मोनू निवासी राजापुर थाना रक्शा जनपद झांसी।

बरामदगी

1–चोरी के 15 दो पहिया वाहन।

जनपद शामली/थाना झिंझाना

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **12 कारतूस विभिन्न बोर**
- **15 हजार रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद**

दिनांक 18.08.2026 को थाना झिंझाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करनाल जाने वाले हाईवे से 02 अभियुक्तों 1–विनय कुमार 2–राजेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 10 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 12 कारतूस विभिन्न बोर, 15 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विनय कुमार निवासी हीरा नगर गली नं0–14 पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना, पंजाब।

2–राजेश निवासी जसिया रोड गली नं0–02 सन सिटी कालोनी बाबूल लक्खा स्विमिंग हाईबोवल पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना पंजाब।

बरामदगी

1–10 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–12 कारतूस विभिन्न बोर।

3–15 हजार रूपये नगद।

4–03 मोबाइल फोन।

5–01 स्विफ्ट डिजायर कार।

- **जनपद कुशीनगर/थाना कप्तानगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/326 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामसमुझ को आजीवन कारावास व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना रूपईडीहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मेराज को आजीवन कारावास व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना शाहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुखपाल को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त भोला को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना आलापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 12–12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना आलापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अनुराग 2–पप्पू उर्फ बृजभूषण को 12–12 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना नौगावां सादात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना नौगावां सादात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 137(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मानव को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना जैदपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त धर्मेन्द्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————